कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
मध्यप्रदेश.

क्रमांक / 1035 / तक / एक / 2006 भोपाल, दिनांक 6 मई, 2006

प्रति,

समस्त जिला पंजीयक,

समस्त उप पंजीयक,

मध्यप्रदेश.

विषय :– फर्जी पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर दस्तावेजों का पंजीयन रोकने के संबंध में ।

———0———

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 32 में प्रावधानित है कि पंजीयन किये जाने वाला हर दस्तावेज संबंधित पंजीयन कार्यालय में उसे निष्पादित या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति या एसे व्यक्ति के प्रतिनिधि या समानुदेशिती द्वारा या ऐसे व्यक्ति, प्रतिनिधि या समानुदेशिती उनके अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है ।

मधु मोहल्ला वि. बाबून्सा कारीकर ए.आई.आर. 1928 कलकत्ता 565 के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया है कि वस्तुतः धारा 32 को अधिनियमित करके विधानमण्डल का आशय ऐसे बाहरी व्यक्तियों को दस्तावेज पंजीयन के लिये प्रस्तुत करने से रोकना था, जिनका उससे कोई संबंध न हो या जिनका इसमें कोई हित न हो । विधानमण्डल की रूचि कपट या कूट रचना (forgery) को रोकने की थी ।

किंतु गत वर्षो में अनेक ऐसे प्रकरण प्रकाश में आये है, जहां व्यक्तियों द्वारा अपने पक्ष में कपटपूर्ण तरीके से मुख्तारनामे की कूट रचना कर, इसके आधार पर अन्य की संपत्ति को हस्तांतरित कराने का प्रयास किया है । ऐसे कूट रचित मुख्तारनामों के कारण आम नागरिक जो इन गतिविधियों से अनभिज्ञ होता है अनावश्यक रूप से वैधानिक विवादों एवं आर्थिक कठिनाईयों में पड़ जाता है ।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही से न केवल विभाग की छवि खराब हुई है, अपितु कई मामलों में पुलिस द्वारा कपटपूर्ण मुख्तारनामें के आधार पर दस्तावेज का पंजीयन करने वाले उप पंजीयक को षडयंत्र में सम्मिलित मानकर उसके विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही भी की गई है ।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य में फर्जी मुख्तारनामों के द्वारा संपत्ति के अंतरण के दस्तावेजों का पंजीयन रोकने के प्रयोजन से निर्देश दिये जाते है कि जब भी कोई दस्तावेज मुख्तार द्वारा निष्पादित कर उप पंजीयक के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जाता है तथा

निरंतर....2

मुख्तारनामें के निष्पादन के समय मालिक भारत के किसी भी भाग मे निवास करता है, जहां पंजीयन अधिनियम प्रवृत्त है, तब दस्तावेज का पंजीयन सक्षम उप पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध मुख्तारनामे के आधार पर किया जाये तथा ऐसे पंजीबद्ध मुख्तारनामें की एक प्रति उप पंजीयक कार्यालय की अतिरिक्त दस्तावेजों की नस्ती में रखी जाये ।

उपर्युक्तानुसार व्यवस्था से एक लाभ यह भी कि मध्यप्रदेश में अधिनियम संख्यांक 5 सन् 206 जिसके द्वारा अचल संपत्ति के अंतरण के अधिकारी देने वाले मुख्तारनामे पर कालावधि के मान से स्टाम्प शुल्क अधिरोपित किया गया है, का पालन करने में मदद मिलेगी ।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनिवार्यतः पालन दिनांक 1–9–2006 से करना सुनिश्चित करें ।

हस्ता/–
महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश.